कार्यालय– जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा

आदेश संख्या 77 /प्रा0शि0/4(2)10/ नियुक्ति स0अ0/2022–23 दिनांक 28 मई 2022

:: नियुक्ति आदेश ::

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में निहित प्राविधानो एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या प्रारम्भिक शिक्षा –दो(02)/419 (II)/2020/6118-21/2021-22 दिनांक 14.09.2021 एंव पत्रांक प्रा0शि0–दो(02)/419(II)/ 2020/ 7445-46 / 2021-22 दिनांक 07 अक्टूबर 2021एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के पत्रांक – वि0प्र0–10(05)/2787/2022–23 दिनांक 19 मई 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद स्तर पर गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती प्रकिया के सापेक्ष बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के चयन होने के दशा में एन0सी0टी0ई0 की अधिसूचना दिनांक 29–07–2011 के पैरा0 (III) के उपपैरा (01)(ग) के कम में आरिक्षत वर्ग यथा (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/पी0एच0) के अन्तर्गत चयनित बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों (जिनका लिफाफा माननीय उच्च न्या0 में योजित रिट याचिका संख्या 574/एस0एस0/2019 नीतू पाठक व अन्य के क्रम में बन्द किये गये थे) सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होने स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत से कम अंक अर्जित किये है को संबधित अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ 08 में अंकित विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर वेतन मैट्रिक्स 35400–112400 (लेवल–6) में नितान्त अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की जाती है यह नियुक्ति नितान्त अस्थाई है जो किसी भी समय 01 माह पूर्व का नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति मा0उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट यचिका संख्या 903 / 2019 एवं रिट याचिका संख्या 350/एस0एस0/2021 मे पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। नव नियुक्त शिक्षको को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय देय नही होगा। नव नियुक्त शिक्षक को उनके आवंटित विद्यालय में 07 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या 21/XXVII(07)/अ0पै0यो0/2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात राजकीय सेवाओं में नयी परिभाषित पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी।यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित याचिका संख्या 574/एस0एस0/2019 मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	जाति	क्षैतिज आरक्षण	नियुक्ति का विषय	नियुक्त रा0प्रा0 विद्यालय का नाम	विकासखण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोहन सिह	लेखराज सिह	05/06/1979	अनु0जाति	–	हिन्दी	कुमालेश्वर	स्याल्दे
2	रश्मि जोशी	पूरन चन्द्र बिष्ट	02/02/1984	आर्थिक रूप से कमजोर	उ0महिला	सामान्य	डुभना	भिक्यिासैण
3	मन्जु बधानी	गिरीश चन्द्र बधानी	20/06/1980	सामान्य	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी	सामान्य	गणिया	भिक्यिासैण
4	अरूण मेन्दोला	राधा बल्लभ मेन्दोला	12/11/1982	सामान्य	–	जीव विज्ञान	मालभीड़ा	स्याल्दे
5	अनूप पुजारी	राजेन्द्र प्रसाद पुजारी	01/10/1981	आर्थिक रूप से कमजोर	–	जीव विज्ञान	सनणा	भिक्यिासैण
6	चन्द्र प्रसाद	देवी लाल	30/06/1978	अनु0जाति	–	हिन्दी	डीगां	ताडीखेत
7	गीता टम्टा	कुश राम टम्टा	15/07/1978	अनु0जाति	उत्त0महिला	सामान्य	भैसोंड़ा	लमगड़ा
8	अर्चना देवी	अमी चन्द	02/07/1984	अनु0जाति	उत्त0महिला	अग्रेजी	पालीरंगोड़	धौलादेवी
9	नरेन्द्र कुमार	भोले सिह	01/11/1981	सामान्य	–	हिन्दी	आंसूतले	सल्ट

10	कविता आर्या	जगन्नाथ प्रसाद	08/03/1983	अनु0जाति	उत्त0महिला	सामान्य	टिकरखोली	लगमड़ा
11	राकेश चन्द्र	नारायण राम	10/07/1980	अनु0जाति	–	गणित	धौलनैली	भैसियाछाना
12	नीमा पॉगती	दुर्गा सिह जगपॉगी	01/02/1975	अन0जनजाति	उत्त0महिला	हिन्दी	तेली	धौलादेवी
13	बुद्धिबल्लभ	पीताम्बर	10/06/1979	अनु0जाति	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी	सामान्य	रणपाथर	स्याल्दे
14	ललिता ब्रजवाल	तिलक राम	25/01/1985	अनु0जाति	उत्त0महिला	गणित	सैलाकोट	धौलादेवी

1. कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता एंव अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं पासपोर्ट साइज के फोटोग्रांफ (एक कागज में चस्पा कर दिनांक सहित राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित की गयी हो) तीन पत्रावलियों में सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें और मूल अभिलेखों से मिलान भी करवायेंगें।
2. समस्त अभ्यर्थी अन्तिम शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान एवम् अन्य 02 संभ्रान्त व्यक्ति जिसमें से कम से कम एक राजपत्रित अधिकारी हो से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराना न हो भी प्रस्तुत करेंगें।
3. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगें।
4. अभ्यर्थी मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिक्षक से स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगें।
5. विवाहित होने की स्थिति मे एक पति अथवा पत्नी होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. भूतपूर्व सैनिक कोटे से चयनित अभ्यर्थी इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करेगे कि इस नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ नही लिया गया है।
7. बी0एड0 प्रशिक्षित उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों का प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 06 महीने का एक सेतु पाठ्यकम (ब्रिज कोर्स)आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।
8. संबन्धित अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगें कि वे राज्य के किसी भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर सेवायोजित नही है।
9. उपरोक्त शर्तो के पूर्ण करने में असफल रहने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

1958-76

पृष्ठांकन संख्या /प्रा0शि0/4(2)10/ नियुक्ति स0अ0/2022–23 तद्दिनाकिंत

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2–अपर शिक्षा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमॉऊ मण्डल नैनीताल।
3– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा।
4–वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा , अल्मोड़ा।
5–कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी संबधित कोषागार।
6–उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, सम्बधित विकासखण्ड, जनपद अल्मोड़ा।
7–प्रधानाध्यापक सम्बन्धित विद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि विद्यालय में नियुक्त अभ्यर्थी को विकासखण्ड से संबधित के मूल शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात ही कार्यभार ग्रहण करायेगे।
8–सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस आशय के साथ प्रेषित कि संबधित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय से अपने समस्त शैक्षिक /प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल अभिलेखों से जांच कराने के उपरान्त ही विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेगे। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उक्त नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर अन्य जनपदों में कार्यभार ग्रहण न किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगे।
9–कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

पत्रांक 1977-79 / प्रा0शि0 / 4(2)10 / नियुक्ति स0अ0 / 2022-23 दिनांक 28 मई 2022

:: विज्ञप्ति ::

निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक वि0प्र0-10(05) / 2787 / 2022-23 दिनांक 19 मई 2022 में दिये गये निर्देश के कम में चयनित अभ्यर्थी जिनका लिफाफा माननीय न्यायालय के आदेश के कम में स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत से कम अंको वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइड www. schooleducation.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर यथा समय नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करे।

(सत्य नारायण)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।

पृष्ठांकन संख्या 1977-79 / प्रा0शि0 / 4(2)10 / नियुक्ति स0अ0 / 2022-23 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस निवेदन के साथ प्रेषित की संलग्न विवरण को विभागीय पोर्टल वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करें।
02. सम्पादक, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान को इस निवेदन के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के में राज्य संस्करण अंक में अति सूक्ष्म रूप में प्रकाशित कर विल भुगतान हेतु दो प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिचित करें।
03. कार्यालय सुरिक्षत पंजिका।

28/05/2022
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, अल्मोड़ा।